बिहार सरकार

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ

अल्पकालीन विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन

1. संबंधित प्रखण्ड/नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि – 18.02.21 से 08.03.21
2. मेधासूची तैयार करने एवं प्रकाशन करने की तिथि –12.03.2021
3. मेधासूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं निराकरणकी तिथि –12.03.21 से 19.03.21
4. चयन सूची के प्रकाशन की तिथि– 23.03.2021
5. नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण कार्यक्रम –01.04.2021

● **विकास मित्र का चयन :–**

महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड समूह (कलस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जायेगा।

1. **चयन हेतु अर्हता :–** (1) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे। (2) जिस पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। (3) आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। (4) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :– (1) नन–मैट्रिक (2) नौवीं पास (3) आठवीं पास (4) सातवीं पास (5) छठा पास (6) पांचवी पास। सर्वप्रथम नन मैट्रिक उसके पश्चात नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित किया जाएगा। बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह से साथ जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यों में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में कम शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे – वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे कम हो जन्म तिथि के अनुसार चयन किया जायेगा। अगर दो या दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगे। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के आधार पर किया जाएगा। (5) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। (6) मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। (7) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. **आयु सीमा :–** आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. **जाति बहुलता :–** पंचायत / वार्ड समूह (शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गई है जिस जाति की जनसंख्या पंचायत / वार्ड समूह (शहरी) में सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत से ही किया जाएगा।

4. **नियोजन की अवधि :–** विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है।